

कार्यालय प्राचार्य, महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव  
शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया,  
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

E-mail - ngcpipariya@gmail.com , web site - gncpipariya.in

क्रमांक 225 /स्था./अतिथि व्या./2025

दिनांक - 14.08.2025

// अतिथि व्याख्याता विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया में निम्नलिखित विषय अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण - पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 22.08.2025 को सांय 04:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

1. स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय में 55% प्राप्तांक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50%) प्राप्तांक होना आवश्यक है। पी.एच.डी. नेट एवं स्लेट, एम.फ़ील., उत्तीर्ण अनुभव उम्मीदवार को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदकों का चयन उनके प्राप्तांकों के गुणानुक्रम तथा देय अधिभार के आधार पर मेरिट से किया जायेगा।
2. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
3. आयु सीमा - अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
4. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्र.	विषय का नाम	रिक्त पद की संख्या	
		प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	वाणिज्य	0	01

टीप :- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह विज्ञापन क्रमांक 574/126/आउशि/रा.स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ.3-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के कंडिका 11 अवकाश सुविधा के विन्दू क्रमांक 11.1 के आवेदन पर एवं कार्यरत अतिथि व्याख्याता श्रीमति अराधना सेन वाणिज्य के एक माह के अवकाश में जाने के कारण जारी की जा रही है। उक्त अतिथि व्याख्याता की अवकाश उपरांत कार्यभार ग्रहण करते ही समाप्त मानी जायेगी।

**शर्त :-**

5. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल. /पी-एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।



6. दिनांक 22.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
7. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
8. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 23.08.2025 तक महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.gncpipariya.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा।
9. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि - 24.08.2025 होगी।
10. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक - 25.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की सूचना पटल में किया जायेगा।
11. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नहीं की गई है।
12. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशमं अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
13. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
14. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
अ	45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए		
1.	45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400.00	300.00
2.	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600.00 (41600.00 प्रतिमाह अधिकतम)	1200.00 (30000.00 प्रतिमाह अधिकतम)
ब	60 मिनट के व्याख्यान के लिए		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500.00	350.00
4	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000.00 (50000.00 प्रतिमाह अधिकतम)	1400.00 (35000.00 प्रतिमाह अधिकतम)

15. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता कार्यालय प्राचार्य महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव स्नातक शासकीय महाविद्यालय पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव  
शासकीय स्नातक महाविद्यालय, पिपरिया  
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक. / /अतिथि व्याख्याता /2025  
प्रतिलिपि:-

पिपरिया दिनांक

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कबीरधाम छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य शास. अग्रणी महा. कवर्धा जिला - कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ एवं लेख है कि कृपया अपने महाविद्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करे।
4. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय को सादर सूचनार्थ एवं निवेदन कृपया अपने महाविद्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करे।
5. महाविद्यालय स्थापना, लेखाशाखा को सूचनार्थ।